कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य समिति उन्नाव।

पत्रॉक– एन0यू0एच0एम0 / आशा चयन / 2022–23 / 4406 दिनॉक– 30-7-22

प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा अनुभाग–10 के पत्र सं0–2505 / 5–10–15–9()120 / 13 दिनांक 01.01.2016 एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0यू0एच0एम0 / guideline / 2020–21 / 47 / 2680–75 दिनांक 16.08.2021 के कम में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में स्लम एवं नॉन स्लम क्षेत्र में शहरी आशा के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाने है। आवेदन पत्र दिनांक 10.08.22 से 20.08.22 सायं 05 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एन0यू0एच0एम0 सेल में पंजीकृत डाक से जमा किये जायेगें। निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

क0स0	कार्यकम का नाम व पद नाम	संबंधित न0प्रा0स्वा0के0 का नाम	आवश्यक आशा की संख्या	साक्षात्कर की दिनांक	शैक्षिक योग्यता / अनुभव	मानदेय
1	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (शहरी आशा)	न0प्रा0स्वा0के0 पुरानी बाजार	32	25.08.22	न्यूनतम हाईस्कूल उत्तीर्ण हो।	सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के आधार पर प्रतिपूर्ति राशि दी जायेगी।
		न0प्रा0स्वा0के0 काशीराम कॉलोनी .	1	26.08.22		
		न0प्रा0स्वा0के0 ब्रह्मनगर	4			
		न0प्रा0स्वा0के0 चम्पापुरवा	7			
		न0प्रा0व0के0 मोती नगर	29			

नोट – साक्षात्कार उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रातः 11 से 5 बजे तक सम्पन्न होंगे। साक्षात्कार के लिये अलग से कोई सूचना अथवा बुलावा पत्र नही भेजा जायेगा।

नियुक्ति की शर्तें–

1. आशा संबंधित स्लम क्षेत्र की स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। एवं उसी क्षेत्र हेतु तैनती की जायेगी इस हेतु मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड , तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। 2. विविाहित / विधवा / तलाकसुदा / पति से अलग हो गयी महिला को प्राथमिकता दी जायें। 3. उम्र 20 से 45 वर्ष के बीच हो। 4. हाईस्कूल उत्तीर्ण हो। 5. चयनित आशा प्रशिक्षण के पश्चात् कार्य करेगी तत्पश्चात् ही प्रतिपूर्ति राशि की पात्र होगी। 6. चयनित आशा को कोई नियत मानदेय / वेतन प्राप्त नही होगा। 7. कार्य आधारित निर्धारित प्रतिपूर्तिराशि के अतिरिक्त अन्य कोई भत्तं आदि देय नही होगें। 8. साक्षात्कार हेतु कोई टी0ए0 / डी0ए0 ऐय नही होगा। 9.नियुक्ति से संबंधित सभी विदिक विवादों का निस्तारण सीनीय जिला न्यायालय जूरिसडक्शन के अधीन होगें। 10. आवेदन पत्र के साथ आयु / जाति प्रमाण पत्र, समस्त शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक पत्र प्रमाण पत्र तथा अनुभव आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य होगा। 11.अपूर्ण अथवा निर्धारित आहर्ताओं न रखने वाले अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा साक्षात्कार में सम्मिलित नही किया जायेगा। 12. उपरोक्त विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार का संशोघन एवं निरस्त करने का अधिकारी अधोस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

नोट– आवेदन पत्र का प्रारूप तथा चयन से संबंधित स्लम एवं नान स्लम क्षेत्र का विवरण जनपद की राजकीय बेबसाईट unnao.nic.in एवं समस्त नगरीय प्रा0स्वा0के0 परन चस्पी की जायेगी।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
उन्नाव ।